संख्या 1508/नौ-सी(2)/06-2(60पे0)/2003

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग देहरादून: दिनांक28मार्च, 2006

विषय:– वित्तीय वर्ष 2005–06 में पौड़ी पुनर्गठन (नानघाट) एवं हल्द्वानी जलोत्सारण योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5289/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक–06.12.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 में निम्न विवरणानुसार योजनाओं के निर्माण हेतु रू0 500.00 लाख संगत मद से एवं रू0 500.00 लाख संलग्न बी0 एम0–15 के अनुसार पेयजल विभाग के अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा अर्थात कुल रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	योजना का नाम	कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
01	पौड़ी	पौड़ी पुनर्गठन पेयजल योजना (नानघाट)	4357.00	500.00	500.00
02	नैनीताल	हल्द्वानी जलोत्सारण योजना प्रथम चरण	2448.20	400.00	500.00
		योग:–		900.00	1000.00

2– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी आहरण से सम्बन्धित बिल वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी ।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं पर आवंटन के अनुसार किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है । किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा ।

क्रमशः..2

4— स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उ0प्र0 शासन के वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–87(1)/4–सा–97–17(4)/75,दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष सेन्टेज चार्जेज किसी भी रूप में 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय ।

5— व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/ फाइनेन्शियल हैण्डबुक नियमो तथा अन्य स्थाई आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी । निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

6— प्रस्तर–1 मे वर्णित योजनाओ के सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार ही निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा ।

7— कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

8— व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका,स्टोर परचेज रूल्स, विषयक नियमो एवं अन्य तद् विषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

9— स्वीकृत की जा रही धनराशि का अविलम्ब उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च की तिथि तक स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त निर्धारित फार्म जी0एफ0आर0–19ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को योजनावार कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

10— उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण(के0स0)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा ।

11— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय स0–461/XXVII(2)/2006 दिनांक 21 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

/

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव

संख्याः 1308 / उन्तीस(2) / 06–2(60पे0) / 2003,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

2–आयुक्त,गढ़वाल / कुमायूं मण्डल, पौढ़ी / नैनीताल ।

3–जिलाधिकारी देहरादून / नैनीताल / पौढ़ी

4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

5–संयुक्त सचिव,भारत सरकार,योजना आयोग(राज्य योजना प्रभाग)योजना भवन,संसद मार्ग नई दिल्ली ।

6–एडवाइजर(PHEE) भारत सरकार,शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय,निर्माण भवन,नई दिल्ली ।

7–मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।

8–निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।

9–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल।

10–वित्त अनुभाग–3 / नियोजन प्रकोष्ठ / वित्त बजट सेल।

11–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।

12–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव

नियन्त्रक अधिकारी – उत्तरांचल पेयजल निगम
प्रशासनिक विभाग – पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

(रू0 हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मद्वार अद्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाता है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215-जलपूर्ति तथा सफाई				2215-जलपूर्ति तथा सफाई			(क) भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण (ख)-[illegible] हेतु [illegible] के निर्धारण [illegible] के कारण
01-जलपूर्ति-आयोजनागत				01-जलपूर्ति-आयोजनागत			
102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
04-ग्रामीण जलपूर्ति स्वाधार(75 प्रतिशत केन्द्रांश)				0101-राष्ट्रीय [illegible] / [illegible] योजनाओं का नियोजन (केन्द्रांश)			
20-सहायक अनुदान / अंशदान राजसहायता 200000	3310	–	196690(क)	20-सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 50000(ख)	100000	150000	
योग – 200000	3310	–	196690	50000	100000	150000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

([illegible])
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-2
संख्या: ~~[illegible]~~ (क) [illegible]-2 / 2006
देहरादून : दिनांक : 21 मार्च 2006

पुनर्विनियोग स्वीकृत
([illegible])
अपर सचिव वित्त

सेवा में
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्या 1506 (ब)/उन्तीस/16-2-(60प0)/2003 तद् दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-कोषाधिकारी,देहरादून । 2. वित्त अनुभाग-2
3-जिलाधिकारी,देहरादून ।

आज्ञा से
([illegible])
अपर सचिव